

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर


फर्द अहकाम

हीरालाल बनाम ग्यारसी

न्यायालय

संख्या

24/2014 Ti

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
विशेष रि	20/9/2022	<p>पत्रावली प्रस्तुत। उन्नमपत्र अधिवक्तागण उपस्थित। मूलकांड वाड वारीगण खारिग किपा जा चुका है अतः इस पत्रावली अस्वार्थ निषेधाज्ञा का कोर्ट अधिनियम मधीं रह जाता है। अतः प्रा.पत्र अस्वार्थ निषेधाज्ञा खारिग की जाती है पत्रावली फैनल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p> सहायक कलक्टर आमेर न. जयपुर</p>	

